



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-07072021-228165
CG-RJ-E-07072021-228165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2533]
No. 2533]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 28 मई, 2021

का. आ. 2737(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण उसके नीचे अनुसूची में दिया गया है, हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना डीएफसीसीआईएल परियोजना के संबंध में मिर्जापुर बछोड़ स्टेशन (किमी 44.440) पर नारनौल माल शेड का स्थानांतरण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं जिला राजस्व अधिकारी नारनौल, हरियाणा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने और ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझने के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् डीएफसीसीआईएल परियोजना के संबंध में मिर्जापुर बछोड़ पर नारनौल माल शेड का स्थानांतरण के लिए जिला महेन्द्रगढ़ में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवास किया जाने वाला रकबा	
							कनाल	मरला
1	महेन्द्रगढ़	अटेली	सुरानी	36//16/1 मिन	व्यक्तिगत	भूड	0	5
				16/2 मिन	व्यक्तिगत	भूड	0	4
				17/1 मिन	व्यक्तिगत	भूड	0	0
				37//11/1 मिन	व्यक्तिगत	चाही दायम	0	6
				20/2 मिन	व्यक्तिगत	चाही दायम	0	4
				कुल रकबा			0	19

[फ़ा. क्रमांक :- उप मु. इंजी./नि./जयपुर /553379721]

ब्रिजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 28th May, 2021

S.O. 2737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, of Namely: **Shifting of Narnaul goods shed To Mirzapur Bachod station (km:44.440) in connection with DFCCIL project** in the **District Mahendragarh** of the State of **Haryana**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **District Revenue officer, Narnaul, Haryana** in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Special Railway Project, Namely: **Shifting of Narnaul goods shed To Mirzapur Bachod in connection with DFCCIL project** in the district **Mahendragarh** of the State of **Haryana**.

Sr. No.	District	Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Type of land	Nature of land	Area	
							Kanal	Marla
1	Mahendragarh	Ateli	Surani	36//16/1 Min	Private	Bhood	0	5
				16/2 Min	Private	Bhood	0	4
				17/1 Min	Private	Bhood	0	0
				37//11/1 Min	Private	Chahi Doyam	0	6
				20/2 Min	Private	Chahi Doyam	0	4
				Total			0	19

[F. No. -DY. CE (C) JP/553379721]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)